अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/यु0पी0 निरस्त/——/18, दिनांक : 31 :दिसम्बर–2018,

–:: आदेश ::–

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक–2488/18 दिनांक 10.12.2018 द्वारा दिनांक 03.01.19 से 05.01.19 तक के लिए सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–फैजाबाद के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–गोरखपुर व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–3, लखनऊ की खंड पीठ गठित की गयी थी।

मुन्सरिम कार्यालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–गोरखपुर के पत्रांक–167/18 दिनांक 27.12.18 के साथ श्रीमती मीना श्रीवास्तव,एच0जे0एस0,न्यायिक सदस्य पीठ–गोरखपुर द्वारा शल्य चिकित्सा कराये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है, जिसके अनुसार श्रीमती मीना श्रीवास्तव,उक्त खंड पीठ में सम्मिलित होने में असमर्थ रहेंगी। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए फैजाबाद में दिनांक 03.01.19 से 05.01.19 तक के लिए गठित उक्त खंड पीठ निरस्त की जाती है।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0–31.12.18

(प्रेम कला सिंह)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा0क0अधि0/यु0पी0 निरस्त/2561/2018, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,गोरखपुर पीठ–गोरखपुर

2–सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–फैजाबाद/पीठ–3, लखनऊ।

3–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4–मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्पयूटर) मुख्यालय।

5–सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ —— /18, दिनांक : 31 दिसम्बर –2018,

–:: आदेश ::–

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक–2488/18 दिनांक 10.12.2018 द्वारा दिनांक 07.01.19 से 11.01.19 तक के लिए सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–प्रथम व पीठ– द्वितीय, आगरा के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–प्रथम, आगरा व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–2 आगरा की खंड पीठ गठित की गयी थी।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–प्रथम, आगरा की दिनांक 07.01.19 से 11.01.19 तक Indian Institute of Public Administration (IIPA) New Delhi में ट्रेनिंग का कार्यक्रम प्राप्त होने के कारण उक्त गठित खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए **"न्यायिक सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–प्रथम आगरा "** के स्थान पर **"न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–प्रथम लखनऊ** को उक्त अवधि की खंड पीठ हेतु नामित किया जाता है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0–31.12.18

(प्रेम कला सिंह)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/2563/2018, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,आगरा पीठ–प्रथम/पीठ–द्वितीय आगरा।

2–सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–प्रथम, लखनऊ।

3–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4–मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।

5–सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।